न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)
(प्रार्थना पत्र सं॰ -/87/2017

ग्राम पंचायत रायपुर जरिये सरपंच पंचायत मुख्यालय रायपुर तहसील जमवारामगढ (जयपुर)

... वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ (जयपुर)

... प्रतिवादी

दावा घोषणा बादत नक्शा तरमीम / दुरुस्तीकरण अन्तर्गत धारा 91 राज॰ टि॰ एक्ट एवं 136 बसल आर॰ एम॰

निर्णय दिनांक 09/04/2018

वादी ने एक वाद बाबत घोषणा नक्शा तरमीम दुरुस्तीकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम धोरेट उर्फ हरसामपुरा के ख॰नं॰ - 258 रकबा 0.72 हक्ट॰ गै॰मु॰ आबादी अनुसार है। जिसमें बंजारा आबादी बसी हुई है। जिसके लगता राजकीय भूमि ख॰नं॰ 259 रकबा 2.68 स्थित है। लेकिन नक्शा की कार्यवाही के दौरान ख॰नं॰ 258 की आवासीय आबादी भूमि का राजस्व नक्शे की तरमीम मौके स्थिति के विपरीत को पाकर अपूर्ण कर दिया गया।

वादी ने वाद पत्र के मद सरलां (लगायत) में अंकित तथ्यों की गई

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ (जयपुर)

करते हुऐ कहा कि सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा भी रक्बा 258 की तरमीम मौके पर बसावट से मिलान कर दी गई है। रक्बा 258 की भूमि रक्बा 259 की उत्तरी दिशा की भूमि में शामिल कर दिया गया। पंचायत को पट्टा जारी में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे जारी नक्शा दुरुस्त कराने का अधिकारी है।

दावा विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर सलग्न नजरी नक्शा व मौके पर आबादीए आबादी की बसावट के मुताबिक ग्राम धोरेर उर्फ हस्सामपुरा में स्थित आबादी रक्बा 258 एवं रक्बा नं 259 के राजस्व नक्शे को रद्दबा करारी अनुसार पुनः तरमीम करने की घोषणा की जावे जिसके अनुसार तहसीलदार को नक्शा दुरुस्तीकरण का आदेश दिया जावे

उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी को जारी की गई। तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक 15 दिनांक 01.11.19 के द्वारा जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि भू-प्रबन्ध कार्यवाही मौके अनुसार दर्ज न की जाकर केवल रक्बा 258 में कर दी गई जो गलत है मौके पर रक्बा 258 व 259 में आबादी बसी हुई है। अतः सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रक्बा 258 व 259 में मौके अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने व तहसीलदार के जवाब पर मनन करने के उपरान्त, वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं ग्राम धोरेर उर्फ हस्सामपुरा तहसील जमवारामगढ जयपुर के स्थित आबादी रक्बा 258 एवं रक्बा

उपखण्ड अधिकारी

259 के राजस्व नक्शा को रकबा दरारी अनुसार सलंग्न नक्शे नक्शा के अनुसार दुरुस्त तस्मीम के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें।

निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ के पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पार्ट प्रति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)